स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 274, दिनांक 05—09—2021

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एवं मोबाइल कम्पनियों का फर्जी Customer Care अधिकारी बनकर लकी ड्रा का प्रलोभन देकर ठगी करने वाले गैंग के सरगना को एस0टी0एफ0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांकः 04—09—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एवं मोबाइल कम्पनियों का फर्जी कस्टमर केयर अधिकरी बन कर लकी ड्रा में मोबाइल नम्बर के आने का प्रलोभन देकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना अभिषेक सिंह चौहान उर्फ रोहित को गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :—</u>

अभिषेक सिंह चौहान उर्फ रोहित पुत्र सुभाष सिंह नि0 सी—ब्लाक 210, बर्रा—08, थाना बर्रा, कानपुर नगर।

<u>कुल बरामदगी—</u>

1. 01 अदद मोबाइल फोन।
2. रू0 501/— नगद।
3. 01 अदद एटीएम कार्ड।
4. 01 अदद पैन कार्ड।

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समयः—</u>

नौबस्ता तिराहा पेन्ट्रोल पम्प के पास कानपुर नगर दिनांक 04.09.2021 समय 16.30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एवं विभिन्न मोबाइल कम्पनियों का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लकी ड्रा का प्रलोभन देकर विभिन्न खातों में रूपये जमा कराकर, आनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि वोडाफोन, एअरटेल का फर्जी लकी ड्रा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे ठगी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह के सदस्यों ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इस सम्बन्ध में थाना धम्मौर, जनपद सुलतानुपर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 327/2020 धारा 419/420/66 डी आई0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त अभिषेक सिंह चौहान उर्फ रोहित नौबस्ता तिराहे पर किसी से मिलने आने वाला है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने मोबाइल फोन से एअरटेल, वोडाफोन, प्रधानमंत्री आवास आवंटन योजना से सम्बन्धित फर्जी अधिकारी बन भोले—भाले जनता के लोगों इनाम का प्रलोभन देकर थोड़े—थोड़े पैस विभिन्न खातों मे जमा करवा कर उनसे धोखाधड़ी करता है। इस काम में उसके साथ कई लोग काम करते है, जिसके द्वारा सीधे—साधे व्यक्तियों को पहचान कर ठगी का यह कार्य किया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 327/2020 धारा 419/420/66 डी आई0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। इस के विरूद्ध पूर्व में जनपद श्रावस्ती में मु0अ0स0 257/2019 धारा 419, 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत है।